Mail id :
mittal.sachin@gov.in
abhishek.singh87@gov.in

For Office Use Only

Ministry of Health & Family Welfare

Meta Data for Documents

Name of Division:

S.no	Item	Information to be Displayed
1.	Document title to be displayed on website	Recruitment Rules for the Post of Dy Assistant Director (Stores) in the Dte. of NVBDCP
2.	Division/Autonomous Body (Contact E-mail-id)	VBD Section
3.	Language (English)	English to Hindi
4.	Form of Document (e.g. pdf,doc,xls) (zip format not allowed)	DOC
5.	Reference URL or Detailed PDF	
6.	Validity	30 days
7	Name & Email-Id of Sender	
8	Section of Website, where it is to be uploaded	Programme/Reports/News & Highlights/Key Developments/Disease Alerts/Events & Announcements/Vacancies

- It is Certified that the Content have been Checked . The Content need to be following (kindly tick the appropriate option):
  1. New [ ]
  2. Update [ ]
  3. Delete [ ]

Signature: B prasad 17/7
Name of Nodal Officer: Baidyanath Prasad
Designation: U.S.
Email-id: baidyanath.prasad@nic.
Contact No: 23081510

Contents Approved by (JS/AS)

Signature: [signature] 18/8/20
Name:
Designation: JS/AS
Email-id:
Contact No:

(रेखा शुक्ला)
(REKHA SHUKLA)
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

For Uploading on Website

Level 1:

Level 2:

Level 3:

Level 4:

(Signature of Web Information Manager)

Uploaded on:

Uploaded by:

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन (उप सहायक निदेशक (स्टोर्स) और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (स्टोर अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 के अधिक्रमण में, जहां तक ये उप सहायक निदेशक (स्टोर्स) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण निदेशालय में उप सहायक निदेशक (स्टोर्स) पद पर भर्ती की पदि्त का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ** : -

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण निदेशालय, उप सहायक निदेशक (स्टोर्स) पद भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप सहायक निदेशक (स्टोर्स)	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (गैर-मंत्रालयी)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10 (56100-177500/- रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु-सीमा का निर्धारण भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोजिस्टिक्स प्रबंधन अथवा सामग्री प्रबंधन में मास्टर डिग्री। (ii) सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान मे पर्यवेक्षण पद पर 2 वर्ष का अनुभव जिसमे न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल से संबधित खरीद ,भंडारण और अधिमान्य रूप से चिकित्सा स्टोर्स तथा उपकरण स्टोर्स संबंधी मामलें शामिल हैं। टिप्पणी-: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। वांछनीय: सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान आयात तथा निर्यात विनियमों / ख़रीद की जानकारी कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान

सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
नहीं	2 वर्ष	(I) 50 प्रतिशत प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति द्वारा (II) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 07 में 08 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय भंडारण अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति हेतु उसका चयन होता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी: (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (56100-177500/- रुपये) के लेवल 8 में 2 वर्ष की नियमित सेवा; और सीधी भर्ती के लिए कॉलम 7 के अनुरूप ख़रीद,भंडारण और स्टोर्स संबंधी मामलों का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	(1) समूह 'क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: 1) अध्क्ष, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य 3) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (2) समूह 'क" विभागीय स्थायी समिति (पदोन्नति को स्थायी करने के लिए) में शामिल हैं: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक / निदेशक (ए एंड वी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक, एनवीबीडीसीपी महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सं.1-47/2019-प्रशा.I

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार